

मूल वाद मे प्राथमिक डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द बईजलास संदीप कुमार , आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	80/2020
G.C.M.S. प्रकरण संख्या	2020/00207
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	19.10.2020
निर्णय दिनांक	07.04.2022

अनवान

1	कल्याण पि. नानूराम बलाई नि. गोविन्दपुरा प.म. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
---	--

- वादी

बनाम

1	उदयलाल पि. रामलाल बलाई नि. गोविन्दपुरा प.म. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	डाली पुत्री रामलाल बलाई नि. गोविन्दपुरा प.म. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	ताराचन्द पि. रामलाल बलाई नि. गोविन्दपुरा प.म. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	नारायणलाल पि. रामलाल बलाई नि. गोविन्दपुरा प.म. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	प्रेम पुत्री रामलाल बलाई नि. गोविन्दपुरा प.म. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6	पारस पि. रामलाल बलाई नि. गोविन्दपुरा प.म. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
7	मोहनलाल पि. घीसा बलाई नि. गोविन्दपुरा प.म. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8	श्यामलाल पि. नानूराम बलाई नि. गोविन्दपुरा प.म. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
9	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादी गण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री हरिशंकर शर्मा एवं प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री एक तरफा कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 07.04.2022 को अदालत के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिकी दी जाती है कि:-

दावा वादीगण स्वीकार कर प्राथमिक डिकी किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि में दर्ज खातेदार काशतकारान के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जे के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी में आने-जाने के रास्ते आदि को शामिल छोड़ते हुये भूमि मय लगान के विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं -

ग्राम का नाम - आसीन्द संवत 2076-79

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आ.न.	रकबा
1049	6043	0.17	6044	0.16
	6045	0.15	6046	0.23
	6048	0.08	6049	0.15
	6050	0.15	6051	0.16
	6052	0.17	6053	0.15
	6054	0.16		



कुल किता 11	कुल रकबा	1.73
-------------	----------	------

इसके बाद के खर्चे लेखे-xxx-रूपयें की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर-xxx-प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित-xxx-द्वारा-xxx-को दी जाये ।

यह आज तारीख 07.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सुदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / कोर्ट / पी.डी./2022/ 33

दिनांक 18.4.2022

प्रतिलिपी:- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार भूमि व लगान आदि का विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षकारान की उपस्थिति में आप स्वयं द्वारा तैयार करवाया जाकर नक्शा ट्रेस 2 प्रतियों में एवं निर्धारित प्रपत्र में मौका पर्चा के इस न्यायालय में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.06.2022 से पूर्व आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(सुदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा